



Case No. 111 /2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

(Summons)

फाइल सं.: NCST/DEV-4424/JH/323/2025-RO-RNC/RU-IV

श्रीमती कंचन सिंह
उपायुक्त,
जिला - सिमडेगा,
ब्लॉक-ए, समाहरणालय भवन,
सिमडेगा, झारखंड 835223
Email Id: dc-sim@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **01/12/2025 को 17:10 HRS**, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ:-

- संदर्भ 1
- (i) अभ्यावेदिका श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी, पतिश्री बरनु स्वांसी .स्व -, ग्राम एवं पोस्टगहोडेहाटि -, टोली बाजार बस्ती, थानाबानो-, जिला से (झारखंड) सिमडेगा - सिमडेगा बानो थाना कांड संख्या" प्राप्त अभ्यावेदन61/2007 के आरोपियों पर कड़ी कारवाई करने के साथ "साथ जमीन रजिस्ट्री बिक्री पर रोक लगाने - के संबंध में
 - (ii) NCST Summons dated 22.10.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक **19/11/2025** को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

(Signature)

न्यायालय अधिकारी

मोहर



National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

Copy to: - NIC for uploading